(1)

कार्यालय नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0,भोपाल

क्रमांक जी0बी0-विविध-5/(रद्दी कतरन)/2025/ 255 **भोपाल, दिनांक** 27/05/25

<u>ई-निविदा सूचना</u>

1-शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल परिसर में एकत्रित रद्धी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों के विक्रय हेतु अनुभव एवं पात्रता रखने वाले इच्छुक निविदाकारों से MPSEDC की बेवसाईट http://www.mptenders.govt.in के माध्यम से दिनांक 19/06/2025 तक की-डेट्स अनुसार दरें आमंत्रित की जाती है ।

2-निविदा का तकनीकी भाग दिनांक 20/06/2025 को की-डेटस अनुसार ऑनलाइन खोला जावेगा।

3-निविदा विज्ञप्ति एवं शर्तो आदि को अवलोकन हेतु शासकीय प्रेस की वेबसाइड **www.govtpressmp.nic.in** पर भी रखा गया है।

4- निविदा से संबंधित किसी प्रकार की सूचना / संशोधन अथवा सुधार की स्थिति में जानकारी Pdf दस्तावेज के रूप में MPSEDC की वेब साइड **http://www.mptenders.govt.in** पर उपलब्ध रहेगी ।
(नियंत्रक द्वारा अनुमोदित)

उप नियंत्रक
वास्ते नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म0प्र0 भोपाल।

P.T.O.

CRITICAL DATE SHEET

S	Description	Date	Time
1	Date of publishing and bid document Download	30/05/2025	03:00 pm
2	Bid submission start date & Time	02/06/2025	03:00 pm
3	Bid submission end date & Time	19/06/2025	11:00 pm
4	Technical bid opening date & Time	20/06/2025	02:00 pm
5	Financial bid opening date & Time	Will be intimated after Technical Evaluation	

निम्नानुसार दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जावेगा:-

01. निविदा प्रपत्र के रूप में राशि रूपये 2,000/- प्रोसेसिंग फीस का ऑनलाइन जमा करना है।
02. EMD रूप में राशि रुपये 50,000/-ऑनलाइन जमा कर जमा राशि का अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
03. निविदाकार फर्म स्थापित होने संबंधी जीवित पंजीयन प्रमाण।
04. पेन कार्ड एवं GST रजिस्ट्रेशन की प्रति।
05. फर्म स्वामी/पार्टनर का नाम, पूर्ण पता व संपर्क नम्बर(कम्पनी प्रोफाइल)
06. सी.ए. द्वारा प्रमाणित तीन वर्षो का टर्न ओवर प्रमाण पत्र।
07. निविदा की शर्तो पर सहमति स्वरूप पद्रमुद्रा एवं हस्ताक्षर ।
08. निविदाकर्ता फर्म को राशि रूपये 50/-अथवा उससे अधिक (विधि मान्य) के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पेपर पर इस आशय का शपथ प्रस्तुत करना होगा कि वह राज्य/ केन्द्र शासन/ निगम/मंडल के किसी कार्यालय में प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेट नहीं है।

नोटः- इच्छुक निविदाकारों को अवगत कराया जाता है कि निविदा में समस्त आर्हताकारी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है, भ्रमित करने वाले अनावश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करें अन्यथा निविदा में प्राप्त अनावश्यक दस्तावेजों का प्रिंट निकालने से शासन को हुई हॉनि के बदले राशि रूपये 2/-प्रति प्रिंट के मान से शासकीय कोष में जमा कराया जावेगा, अथवा निविदा को विचार में नही लिये जाने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

निविदा की अन्य शर्ते

1. शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में एकत्रित कागज की रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों के विक्रय हेतु MPSEDC की बेवसाईट **https://www.mptenders.gov.in** पर की सामग्री विक्रय हेतु प्रति किलो ग्राम समस्त कर सहित के मान से ऑनलाईन दरें आमंत्रित की जाती है।
2. H_1 (अधिक्तम मूल्य) दर के निविदाकार की दरें स्वीकृत कर अनुबंध करने की सूचना भेजे जाने पर तीन कार्य दिवस के अंदर प्रतिभूति के रूप में FDR जमा कर अनुबंध निष्पादित करना अनिवार्य होगा, ऐसा ना करने की स्थिति EMD राजसात कर, H_2 दर के निविदाकार को अवसर दिया जावेगा। बकाया हानि की वसूली H_1 निविदाकार से की जायेगी, साथ ही H_1 निविदाकार को आगामी तीन वर्ष तक शासकीय मुद्रणालय की निविदा में भाग लेने से वंचित किया जा सकेगा।
3. रददी कतरन विक्रय करते समय दस टन के ट्रक में रददी का न्यूनतम बजन लगभग आठ टन एवं पन्द्रह टन के ट्रक में लगभग न्यूनतम बारह टन रददी का शुद्ध वजन प्राप्त होना अनिवार्य होगा। तौल में उक्त बजन प्राप्त न होने की स्थिति में रद्दी कतरन के विक्रय को रोक दिया जायेगा, आगामी दिवस में मुख्यालय द्वारा निर्णय लिया जावेगा।
4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल को प्रति दिवस विक्रय की गई रददी कतरन के वजन एवं जमा करायी गई विक्रय राशि से मुख्यालय को कराना अनिवार्य है। स्मरण रहें रददी कतरन का विक्रय कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जावेगा किसी भी स्थिति में अवकाश व कार्यालयीन समय उपरांत रददी का विक्रय नही किया जावेगा।

5. सफल निविदाकारों को प्रतिभूति राशि के रूप मे राशि रूपये 2,00,000/-का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्मित 12 माह की अवधि का FDR नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म.प्र., भोपाल के पक्ष में तैयार कर अनुबंध निष्पादन करना होगा।

6. एकत्रित रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटके यथा स्थिति में उठाना अनिवार्य होगा, एवं इस आशय का प्रमाण पत्र शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि संपूर्ण रददी कतरन निविदा शर्तो के अंतर्गत उठा लिया गया है अब किसी प्रकार की रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों उठाया जाना शेष नही है।

7. सफल निविदाकार को मुद्रणालय में एकत्रित रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों का विक्रय अनुबंध निष्पादन कर आदेश जारी किये जाने के 30 कार्य दिवस के अंदर रद्दी उठाना होगा ऐसा न करने पर 1.5% प्रति सप्ताह की दर से शास्ति अधिरोपित कर निविदाकार के विरूद्व कार्यवाही कर EMD व सुरक्षानिधि जो भी जमा है राजसात कर ली जावेगी।

8. समस्त रद्दी कतरन तथा रील कोर के खाली गुटके उठा लिये गये है इस आशय का प्रमाण पत्र कार्यालय उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय भोपाल से प्राप्त होने व अनुबंध में दी गई शर्तों की पूर्ति होने पर ही प्रतिभूति वापिस की जावेगी अन्यथा की स्थिति में निविदा शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

9. अनुबन्ध निष्पादित करने वाले निविदाकार इस निविदा के अंतर्गत ठेके को उप भाड़े पर नहीं देगा अथवा कार्य या उसका कोई भाग हस्तांतरित /अधिकृत नहीं करेगा और न ही अनुबंध के आधीन किसी को भुगतान हेतु अधिकृत करेगा ।

10. निविदा का प्रेषण इस बात का प्रमाण समझा जावेगा कि निविदाकर्ता को निविदा में निबद्ध समस्त शर्तें और प्रतिबंध मान्य हैं। निविदाकार फर्म द्वारा दी गई कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी। यह निविदा केवल मुद्रणालय की रददी कतरन विक्रय हेतु आमंत्रित है मुद्रणालय से उठाई गई रददी कतरन शासन नियमों के अंतर्गत अन्यत्र स्थान में रखने का दायित्व पूर्ण रूप से अनुबंधित फर्म का होगा। सफल निविदाकार को रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों के अतिरिक्त मुद्रणालय से किसी भी प्रकार की सामग्री ले जाना पूर्ण रूप से वर्जित है ऐसा पाये जाने पर चोरी का प्रकरण संबन्धित फर्म के विरूद्व दर्ज कराकर विधि मान्य कार्यवाही की जावेगी।

11. पुरानी सुरक्षा निधि/प्रतिभूति राशि यदि इस कार्यालय मे जमा हो तो वह इस निविदा के अंतर्गत मान्य नहीं होगी ।

12. रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों का तौल, सफल निविदाकार को अपने मजदूर लगाकर अपने ट्रक में जहाँ है जैसी है को भरवाकर, ट्रक का तौल समिति के सदस्यों की उपस्थिति में धर्मकांटे पर इलेक्ट्रानिक कॉटे से कराना अनिवार्य है। खाली ट्रक का वजन जिस धर्मकांटे पर किया जावेगा उसी धर्मकांटे पर भरे ट्रक का वजन किया जावेगा। भरे ट्रक के वजन से खाली ट्रक का वजन घटाने से प्राप्त रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों का वजन ही मान्य किया जायेगा।

5

13. ट्रक जिस दिन आयेगा, उसी दिन अनिवार्यतः बाहर जायेगा, तथा कार्यालयीन समय दिवस पाली में ही विक्रय किया जायेगा। रद्दी कतरन, रील कोर के खाली गुटकों को श्रेणीकरण करने या छँटाई आदि हेतु शासकीय मुद्रणालय का परिसर प्रयोग नहीं किया जायेगा ऐसा करने पर रूपये 10,000/- प्रति दिवस के मान से शास्ति अधिरोपित की जावेगी। परिसर में सामग्री फैलाये जाने की स्थिति में सफाई का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का ही होगा।

14. लगभग 60MT रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों को उठाया जाना है। आदेशित मात्रा से अधिक रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों को उठाये जाने हेतु पृथक से मुख्यालय से अनुमति ली जाना आवश्यक होगा। अनुमानत: 60 MT सामग्री रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों के रूप में उपलब्ध है। समयानुसार मात्रा में वृद्वि होना स्वाभाविक है, अनुमानित मात्रा से अधिक रददी उठाने पर वही दरें प्रभावशील होंगी जों अनुबंध में **H_1** दर अनुमोदित की गई है।

15. नियंत्रक को किसी भी निविदा को मान्य करने या अमान्य करने का पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिये कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। GST सहित अन्य सभी कर जमा करने का उत्तरदायित्व अनुबंधित फर्म का होगा। GST का चालान इस कार्यालय के GST क्रमांक 23AAALD0979P3ZR में जमा करना होगा एव रददी विक्रय का राशि का चालान मद क्रमांक 0058- 200 अन्य प्राप्तियॉ में जमा करना होगा।

16. रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटकों के विक्रय की निविदा, शर्तों अथवा प्रक्रिया के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर नियंत्रक का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा एवं उक्त निर्णय निविदाकार को मान्य करना बंधनकारी होगा।

17. किसी भी विवाद की स्थिति में अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत पंच निर्णय हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग को भेजा जावेगा और उनका निर्णय दोनों पक्षों पर बन्धन कारी होगा। पंच निर्णय हेतु आर्बिटेशन एवं काउसिलिंग एक्ट 1996 के प्रावधान लागू होंगे ।

उप नियंत्रक,
वास्ते नियंत्रक
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म.प्र. भोपाल

DRT